दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plex/Cir/959 20.03.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल / सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से निर्यात माल की वापसी - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143एए।**

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान और परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से भारतीय बंदरगाहों पर निर्यात माल की वापसी के संदर्भ में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने दिनांक 17 मार्च 2026 को **परिपत्र** संख्या 12 /2026-सीमा शुल्क जारी किया है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143एए के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड निम्नलिखित प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।

**(क) कोई पोत किसी भारतीय बंदरगाह से रवाना होकर किसी दूसरे भारतीय बंदरगाह पर उतरा हो:**

1. शिपिंग लाइन या एजेंट को लैंडिंग पोर्ट पर **सी अराइवल मैनिफेस्ट (एसएएम) दाखिल करना होगा। डीजी सिस्टम भारत लौटने वाले जहाजों के लिए डमी पोर्ट कोड प्रदान करेगा।**

2. उतारे गए कंटेनरों का सत्यापन एसएएम और अन्य दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

3. सील की अखंडता की जाँच की जाएगी; छेड़छाड़ की गई सील की स्थिति में, माल उतारने के बंदरगाह पर 100% जाँच की जाएगी।

4. निर्यातक के अनुरोध पर, माल उतारने वाले बंदरगाह पर सीमा शुल्क विभाग निर्यात प्रोत्साहन के वितरण को सत्यापित करने और शिपिंग बिल और एलईओ को रद्द करने के लिए निर्यात बंदरगाह से संपर्क करेगा।

5. निर्यात बंदरगाह यह सुनिश्चित करेगा कि यदि प्रोत्साहन राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है तो उसे वापस लिया जाए/ वसूली की जाए।

6. निर्यात बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारी आईसीएस में शिपिंग बिल और एलईओ रद्द कर देंगे।

7. सत्यापन के बाद, उचित अधिकारी **बैक टू टाउन (बीटीटी)** सुविधा की अनुमति दे सकता है।

8. डीजी सिस्टम, आईसीईएस में ईजीएम के बाद शिपिंग बिल रद्द करने का विकल्प प्रदान करेगा।

9. रद्द किए गए शिपिंग बिल का विवरण ICEGATE के माध्यम से RBI, DGFT और अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा।

10. उपर्युक्त नई प्रणाली के विकसित होने तक, क्षेत्रीय इकाइयाँ (निर्यात बंदरगाह) सभी अभिलेखों को मैन्युअल रूप से रखेंगी और प्रणाली के चालू होने के बाद उसमें विवरण दर्ज करेंगी।

(ख) **अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट** ।

1. संदर्भ: सीबीआईसी परिपत्र संख्या 14/2007-सीयूएस दिनांक 16.03.2007।

2. सभी अधिसूचित बंदरगाहों और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से 31.03.2026 तक एलसीएल कार्गो के अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट की अनुमति है।

3. संबंधित क्षेत्राधिकार के मुख्य आयुक्तों द्वारा तय किए गए अनुसार, सुरक्षित भंडारण, बुनियादी ढांचे और रसद की उपलब्धता के अधीन सुविधा का विस्तार।

**(सी) तरल थोक/खंड थोक माल**

1. सुरक्षा या रसद संबंधी आपात स्थितियों के कारण भारतीय बंदरगाहों की ओर मार्ग परिवर्तन की स्थिति में:

क. सीमा शुल्क क्षेत्रों, बंधुआ गोदामों या बंधुआ टैंक सुविधाओं में अस्थायी रूप से माल उतारने और भंडारण की अनुमति है।

बी. उद्देश्य: आगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माल भेजना या पुनः निर्यात करना।

2. शर्तें:

ए. माल उतारने, रिक्त स्थान सर्वेक्षण और मात्रा निर्धारण के दौरान सीमा शुल्क पर्यवेक्षण।

ख. अनुमोदित संरक्षक के अधीन भंडारण (धारा 45, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962)।

सी. उचित इन्वेंट्री रिकॉर्ड।

घ. बांड/वचन का निष्पादन।

ई. माल परीक्षण।

एफ. माल सीमा शुल्क नियंत्रण में रहना चाहिए; इसे घरेलू खपत के लिए मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए या डीटीए को डायवर्ट नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) उपर्युक्त छूट, परिपत्र संख्या 09/2026-सीमा शुल्क दिनांक 08 मार्च, 2026 और परिपत्र 10/2026-सीमा शुल्क दिनांक 10 मार्च, 2026 के तहत प्रदान की गई छूट **31 मार्च , 2026** तक लागू रहेगी।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संपूर्ण जानकारी के लिए संलग्न परिपत्र को देखें।

https://membership.plasticsepc .org/mails_images/202603180230 59.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल